भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2382

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर का व्यय

2382. श्री कोडिकुन् नील सुरेशः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दानकर्ता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसयू) और प्राप्तकर्ता संगठनों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई है और परियोजना के उद्देश्य क्या हैं और लाभार्थियों का जिला-वार स्थान के साथ ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सीपीएसयू में सीएसआर कार्यकलापों के समन्वय या प्रशासन के लिए नामित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके आधिकारिक पदनाम, कार्यालय के पते, टेलीफोन नंबर और आधिकारिक ईमेल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सीपीएसयू द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं का एक केंद्रीयकृत डेटाबेस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सीएसआर निधि की पारदर्शिता, न्यायसंगत वितरण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वीकृत/जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का कोई प्रावधान नहीं है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसयू द्वारा राज्य-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और II में संलग्न है। इसके अलावा, लाभार्थी-वार आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख): सीएसआर कार्यकलापों के समन्वय अथवा संचालन के लिए नामित अधिकारियों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग): जी, हां। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित सभी आंकडे जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य-वार, विकास क्षेत्र-वार, कंपनी-वार, परियोजना-वार और वर्ष-वार शामिल हैं, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

जारी...2/-

(घ): सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति तैयार करने, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना की पहचान करने और परियोजना के क्षेत्र की पहचान करने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय का ऑडिट आदि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि निर्धारित कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर व्यय की गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है, जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा की जाने वाली कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करती है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या किसी विशेष कार्यकलाप के लिए व्यय करने हेतु कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2382 के भाग (क) से सन्दर्भित
वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.04	1.18	1.84
2	आंध्र प्रदेश	52.32	72.31	136.11
3	अरुणाचल प्रदेश	7.93	15.51	18.74
4	असम	298.20	316.07	336.20
5	बिहार	116.15	91.23	124.93
6	चंडीगढ़	0.59	0.16	1.39
7	छत्तीसगढ़	161.24	113.36	161.59
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.42	6.10	3.27
9	दिल्ली	449.10	683.38	908.36
10	गोवा	4.75	19.83	15.50
11	गुजरात	126.38	78.90	219.86
12	हरियाणा	38.78	56.24	120.85
13	हिमाचल प्रदेश	55.99	55.68	58.92
14	जम्मू और कश्मीर	25.87	45.11	134.14
15	झारखंड	114.81	142.37	194.14
16	कर्नाटक	167.45	174.58	234.56
17	केरल	54.47	50.96	104.89
18	लद्दाख	5.09	11.58	13.01
19	लक्षद्वीप	-	-	0.57
20	मध्य प्रदेश	207.64	240.08	362.39
21	महाराष्ट्र	308.71	401.79	585.08
22	मणिपुर	12.93	9.44	14.08
23	मेघालय	1.78	1.36	1.78
24	मिजोरम	9.03	2.92	4.70
25	नागालैंड	6.33	6.55	11.80
26	ओडिशा	396.65	488.09	562.86
27	पुडुचेरी	2.26	8.32	1.15
28	पंजाब	12.59	13.29	66.04
29	राजस्थान	58.14	56.10	84.90
30	सिक्किम	23.70	24.72	21.33
31	तमिलनाडु	102.65	174.99	208.69
32	तेलंगाना	82.86	92.23	134.55
33	त्रिपुरा	14.44	3.21	3.23
34	उत्तर प्रदेश	229.93	349.43	469.25
35	उत्तराखंड	116.03	144.39	169.23
36	पश्चिम बंगाल	138.54	119.90	212.88
37	संपूर्ण भारत*	315.80	425.05	4.27
38	अन्य केंद्रीकृत निधि	404.59	329.28	250.01
39	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	-	-
	कुल	4,126.17	4,825.69	5,957.08

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं, का संकेत दिया था।

अनुलग्नक-II

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2382 के भाग (क) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1	कृषि वानिकी	0.65	0.70	3.43
2	पशु कल्याण	3.26	21.71	7.72
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	4.98	18.22	28.68
4	कला और संस्कृति	70.43	121.11	116.97
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	21.19	24.87	9.03
6	शिक्षा	676.47	904.89	1,291.18
7	पर्यावरणीय स्थिरता	265.69	244.24	328.02
8	लैंगिक समानता	3.02	2.91	5.29
9	स्वास्थ्य देखभाल	1,531.32	1,502.30	2,170.83
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	156.54	524.67	532.08
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	23.92	63.94	130.21
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	372.84	450.65	328.84
13	सुरक्षित पेयजल	39.91	128.54	99.09
14	स्वच्छता	226.55	105.77	220.52
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	5.87	3.35	5.76
16	महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास स्थापित करना	6.25	5.74	5.96
17	अनाथालय की स्थापना	2.32	0.94	0.38
18	स्लम क्षेत्र विकास	2.21	4.83	2.37
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	20.59	9.59	4.41
20	विशेष शिक्षा	11.66	12.26	44.69
21	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	102.50	129.26	128.33
22	व्यावसायिक कौशल	143.37	169.40	201.05
23	महिला सशक्तिकरण	30.05	43.98	42.22
24	केंद्र सरकार के अन्य निधि	404.59	329.28	250.01
25	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	2.52	-
	कुल	**4,126.17**	**4,825.69**	**5,957.08**

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गईं, का संकेत दिया।
